



राष्ट्रीय ग्रामाण स्वास्थ्य मिशन
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ ()/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/09

दिनांक : 03/12/15

कार्यालय आदेश

प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन 13 दिसम्बर, 2015 से किया जाना है इस योजना के संबंध में प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

राज्य स्तरीय परिवेदना निस्तारण कमेटी

- | | |
|---|--------------|
| 1. सी.ई.ओ., स्टेट हेल्थ एश्यारेन्स एजेन्सी | - अध्यक्ष |
| 2. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एन.एच.एम. | - सदस्य सचिव |
| 3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ | - सदस्य |
| 4. प्रिंसिपल, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर | - सदस्य |
| 5. प्रतिनिधि, इश्योरेन्स कम्पनी (सरकार द्वारा अधिकृत) | - सदस्य |
| 6. CEO SHAA द्वारा नामित व्यक्ति | |

(मुकेश शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, एम.डी. आर.आई.एस.एल., राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल., राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, अति. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य)/(आर.सी.एच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं तकनीकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सलाहकार आई.एस.सी., एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
16. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
17. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एनएचएम, राजस्थान।
18. प्रभारी सर्वर रूम को मेल बाबत।
19. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम